RNI Reg. No.: UTTHIN/2021/83295

डाक पंजीकरण संख्याः यू.ए./नैनीताल-367/2023-2025

बात पहाड़ की

news.baatpahaadki.com

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

info@baatpahaadki.com

बात पहाड़ की
कृषि, संस्कृति, कला, योग, आयुर्वेद, शिक्षा, विज्ञान व समाचार

धारी (नैनीताल) | सोमवार 20 अक्टूबर 2025 से रविवार 26 अक्टूबर 2025 | वर्ष 04 | अंक 47 | पृष्ठ 4 | मूल्य 3.50 रुपये

उत्तराखण्डी जनता की आवाज बारामासा न्यूज चैनल पर हमलाः सरकारी विज्ञापनों की बंदरबांट पर स्टोरी प्रसारित करने का नतीजा

स्रोतः न्यूज़लॉन्ड्री टीम

उत्तराखण्ड के पत्रकार राहुल कोटियाल और उनका न्यूज़ आउटलेट बारामासा इन दिनों एक चौतरफा हमले का सामना कर रहा है। एक ओर तो सरकार के समर्थक उन्हें निशाने पर लिए हैं तो दूसरी तरफ एबीपी न्यूज़ के कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब से वीडियो डिलीट हो गया है। वहीं, तीसरी तरफ एक एआई जेनरेटिड फेक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें राहुल को लेकर तमाम तरह के झूठे दावे परोसे गए हैं। राहुल अभी इससे जूझ ही रहे थे कि गुरुवार से वह फेसबुक के यूज में भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।

दरअसल, ये पूरा मामला राहुल के साप्ताहिक शो 'एक्स्ट्रा कवर' के वीडियो से शुरू हुआ। राहुल अपने इस शो में बीते दो हफ्तों से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गुजरे सालों में विज्ञापन पर किए खर्च का ब्यौरा दे रहे हैं। इससे पहले राहुल ने 7 अक्टूबर को भी इसी बारे में वीडियो बनाया था।

उल्लेखनीय है कि न्यूज़लॉन्ड्री 1 अक्टूबर से अब तक तीन कड़ियों में धामी सरकार के विज्ञापन खर्च पर अब तक तीन रिपोर्ट्स प्रकाशित कर चुका है। जिसमें पहले भाग में न्यूज़लॉन्ड्री ने बताया था कि कैसे सरकार ने टीवी मीडिया में विज्ञापनों पर बेहताशा खर्च किया। दूसरे भाग में न्यूज़लॉन्ड्री ने अखबारों और बुकलेट्स के प्रकाशन पर हुए खर्च का ब्यौरा दिया। वहीं, तीसरे भाग में न्यूज़लॉन्ड्री ने डिजिटल मीडिया, रेडियो और आउटडोर पर हुए खर्च का ब्यौरा दिया है।

13 अक्टूबर को प्रकाशित दूसरे वीडियो में कोटियाल धामी सरकार द्वारा किए गए इसी विज्ञापन खर्च पर बात कर रहे हैं। यह वीडियो उन्होंने अपने न्यूज पोर्टल बारामासा के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर अपलोड किया था।

कोटियाल ने अपने इस वीडियो में एबीपी न्यूज़ के एक वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया। यह क्लिप चैनल की वरिष्ठ पत्रकार मेघा प्रसाद के साथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इंटरव्यू का है। जिसमें वह उनसे यह सवाल पूछती हैं कि जब धराली में आपदा आई तो क्या मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर से कूदने वाले थे। कोटियाल ने

इस वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करते हुए ये बताया कि कैसे जब करोड़ों रुपये का विज्ञापन मिलता है तो चैनल के सवाल पूछने के लहजे में नरमाहट आ जाती है।

इसके बाद कोटियाल के चैनल पर इसी क्लिप को लेकर एबीपी न्यूज़ की हवाले से एक कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और यूट्यूब इस वीडियो को हटा देता है। एबीपी के हवाले से यह स्ट्राइक मार्कस्कैन नामक कंपनी की ओर से भेजी प्रतीत हो रही है क्योंकि वीडियो का लिंक खोलने पर इसी कंपनी का नाम नजर आ रहा है। बारामासा के फेसबुक पेज से भी कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वीडियो हट गया है।

13 अक्टूबर की रात को राहुल का यह दूसरा वीडियो पब्लिश होता है और 14 अक्टूबर की रात तक एक एआई जेनरेटेड वीडियो के जरिए उनके चरित्र हनन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस वीडियो में राहुल के बारे में तमाम तरह के ऊल-जुलूल दावे तो किए ही जाते हैं। साथ ही न्यूज़लॉन्ड्री के बारे में भी झूठे दावे किए गए हैं। गौरतलब है कि धामी सरकार के विज्ञापन पर करोड़ों रुपये फूंकने की हकीकत सबसे पहले न्यूज़लॉन्ड्री ने ही सामने रखी थी।

राहुल ने फिलहाल इस वीडियो को लेकर देहरादून पुलिस को शिकायत सौंपी है। दरअसल, यह वीडियो राहुल और न्यूज़लॉन्ड्री को बदनाम करने के इरादे से व्हाट्सएप पर तो अंदरखाते शेयर किया ही जा रहा है। साथ ही इसे वसूली 'अभियान मोर्चा' नामक फेसबुक पेज से भी शेयर किया गया है। राहुल ने इसी पेज के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई है।

इस फेक वीडियो को लेकर उत्तराखण्ड के पत्रकारों में भी गुस्सा है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह राठी इस गुस्से को जगजाहिर करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखते हैं, "पत्रकारिता जगत के लिए होने वाली साजिशे पत्रकारों के लिए नहीं समाज के लिए घातक होती है। उत्तराखण्ड के वरिष्ठ पत्रकार राहुल कोटियाल को मैंने पहाड़ के मुद्दों पर अनुसंधान करते और सरकारों से लड़ते देखा है। लेकिन अब इस खाँटी पत्रकार के लिए AI से एक वीडियो बनाकर घुमाया जा रहा है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान और चीन के संपर्क में बताकर विदेशी फंडिंग लेने जैसे आरोप लगाए हैं। ये केवल षड्यंत्र है, मैं पूरी तरह राहुल कोटियाल के साथ हूं।"

इस पूरे मामले को लेकर जब न्यूज़लॉन्ड्री ने राहुल से बात की तो उन्होंने इस चौतरफा हमले के पीछे एक योजनाबद्ध साजिश की आशंका जताई ताकि उन्हें जनहित की पत्रकारिता से रोका जा सके। राहुल कहते हैं, "बीते कुछ वक्त से मेरे खिलाफ ऐसे ही फर्जी एआई वीडियो बनाकर प्रसारित किए जा रहे हैं। मैं उन्हें नजरअंदाज करता आ रहा था। लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। तो मैंने पुलिस में शिकायत दी है।"

वहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर राहुल कहते हैं, "आमतौर पर कोई भी चैनल 7 सेकंड के क्लिप के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजता है। उसके पास कॉपीराइट क्लेम का विकल्प होता है, जिसमें वह रेवेन्यू शेयरिंग (कमाई के हिस्से) की मांग करता है। और जिससे चैनल पर भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहां जान बूझकर स्ट्राइक भेजी गई है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके।"

आपके बच्चों का दुश्मन है आपका ही स्मार्टफोन

पंकज सिंह बिष्ट

अपने बच्चों को मोबाइल फोन देने से पहले क्या कभी आपने विचार किया है कि वह मोबाइल में क्या कर रहे हैं या क्या देख रहे हैं? सायद नहीं। भारत में इंटरनेट क्रांति के बाद घर के हर सदस्य के पास अपना मोबाइल फोन है। आज मोबाइल एक ऐसी डिवाईस हो गयी है, जिसमें आप कुछ भी देख सकते हैं। मोबाइल ने दुनिया को हमारी हथेली में ला दिया है। भारत में इंटरनेट विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ता होने के कारण हमारी इस तक पहुँच काफी आसान है।

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 तक मोबाइल फोन के 1.2 अरब उपयोगकर्ता थे। इनमें से 75 करोड़ स्मार्टफोन का प्रयोग करते थे। डेलॉयट के 2022 ग्लोबल टीएमटी (प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन, दूरसंचार) अनुमान के अनुसार 2026 तक भारतीय घरेलू बाजार में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1 अरब पहुँचने का अनुमान है।

डेलॉयट के अनुसार, वर्ष 2021 से 2026 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना आधार पर स्मार्टफोन ग्राहकों की संख्या 6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में इसमें सालाना 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। डेलॉयट के विश्लेषण के अनुसार, भारत में स्मार्टफोन की मांग सालाना आधार पर 6 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 40 करोड़ हो जाएगी, जो 2021 में 30 करोड़ थी। वहीं एक अन्य रिसर्च में कहा गया है कि भारत में लोग पुरे दिन में औसत 5 से 6 घण्टे का समय अपने मोबाइल फोन को देखने में बिता रहे हैं। उनके द्वारा यह समय सोसियल मीडिया, गेमिंग, वीडियो देखने जैसे कार्यों में व्यतीत किया जाता है।

बच्चों में मोबाइल फोन का प्रयोग एक नशे का कार्य कर रहा है। देखने को मिला है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी मातायें चुप कराने के लिए मोबाइल फोन में कार्टून वीडियों लगाकर दे रही हैं। डॉक्टरों व मनोरोग विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार से बच्चों को मोबाइल फोन देना उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से धातक होता है। इससे बच्चों में आँखों की समस्या के साथ ही उनके व्यवहार में भी आक्रामकता देखने को मिल रही है।

वहीं दूसरी ओर सोसियल मीडिया प्लेटफार्म्स में अराजक एवं अश्लील सामग्री की जैसे बाड़ आ गयी है और इस सामग्री से बच्चे भी अछूते नहीं हैं। इससे बच्चों में बाल एवं यौन अपराध बढ़ रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव में आयें? शायद नहीं।

सोसियल मीडिया कम्पनियों, मोबाइल निर्माताओं तथा इंटरनेट सेवा प्रदाता कम्पनियों से अराजक एवं अश्लील सामग्री को इंटरनेट से हटाने की अपेक्षा करना खुद को धोखे में रखना होगा। हमें चाहिए कि हम स्वयं अपने बच्चों को स्मार्टफोन के सीमित प्रयोग की ओर ले जायें। बच्चों को एक निश्चित समय तक, केवल अपनी निगरानी में ही स्मार्टफोन देखने दें। बच्चों को अराजक एवं अश्लील सामग्री देखने से बचाने के लिए बच्चों को मोबाइल फोन देते वक्त फोन में रिस्ट्रिक्टेड मोड या चाईल्ड मोड ऑन कर ही प्रयोग करने दें। अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना तथा उन्हें बुराई से दूर रखना आंखिर माता पिता का ही तो कर्तव्य है।

हम सम्पूर्ण भवन निर्माण कार्य, मेंटिनेंश, विद्युत वायरिंग, पेंटिंग और सजावट का कार्य करते हैं।

आप सभी को दीपोत्सव दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई।

Mobile No.: +91 9761034033
Email: aclnainital@gmail.com

ACL GOODS AND SERVICES
Registered Office:
Main Market Kasiyalekh, Block Dhari, District Nainital
Uttarakhand, PIN- 263137

'बात पहाड़ की' ई-पेपर पढ़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें।

आप सभी को दीपोत्सव दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई।

'बात पहाड़ की'
राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक
www.baatpahaadki.com

संपादकीय

बात पहाड़ की

'नेतागिरी' में उज्ज्वल भविष्य टटोलते पहाड़ के युवा

गणेश सिंह बिष्ट

आज के दौर में यदि गौर फरमाया जाए तो पर्वतीय क्षेत्र के हर किसी युवा के मन में नेतृत्व की चाहत उमड़ती दिखाई देती है। जहाँ एक ओर पहाड़ी क्षेत्रों में बेरोजगारी का आलम पसरा हुआ है, युवाओं के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियों और सेवाओं में 'हाकम सिंह' जैसे दलालों का पहरा है, और निजी क्षेत्र में युवाओं का लगातार शोषण होता आया है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ के युवाओं को अब अपना उज्ज्वल भविष्य 'नेतागिरी' में नजर आने लगा है। यह कहा जा सकता है कि युवाओं को 'नेता' बनने का चस्का लग गया है। आज का हर कोई युवा स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता कहे जाने पर गौरवान्वित महसूस करता प्रतीत होता है। कोई अपने ग्रामवासियों के बीच, कोई अपने क्षेत्रवासियों के बीच, कोई विकासखण्ड स्तर पर, कोई न्याय पंचायत स्तर पर, और कोई जिला स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने में जुटा हुआ है। अपने–अपने स्तर की मेहनत करता हुआ हर कोई नजर आ रहा है। खैर अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधित्व करना आज की युवा पीढ़ी भली भाँति जानने व समझने लगी है, और कुशल नेतृत्व हेतु पंचवर्षीय चुनावी पर्व में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेने लगी है। कोई स्वयं नेता बनने की चाह में अपना लक्ष्य साधने में लगा है, तो कोई उसके पीछे सहयोगी की भूमिका निभाता नजर आ रहा है। क्योंकि सहयोगी की भूमिका में रहने वाला हर कोई युवा इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है कि यदि उसका साथी नेता बन जाए तो नेता जी के साथ–साथ अपने भी वारे–न्यारे हो ही जायेंगे। लेकिन सवाल ये हैं कि नेतागिरी का शौक रखने वाले सभी युवा क्या नेता बन पायेंगे? क्या चुना गया नेता अपने सभी सहयोगियों व देवतुल्य जनता की उम्मीदों में खरा उतर पायेगा? क्या वास्तव में युवा नेताओं का भविष्य उज्ज्वल व सुरक्षित है? जनप्रतिनिधित्व का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत उनके पास क्या स्थायी रोजगार रहेगा?

पंचायत चुनावों में नेतृत्व की चाह रखने वाले युवाओं के लिए प्रत्येक पाँच (05) वर्ष में एक बार यह अवसर आता है, किन्तु कई मर्तबा यह अवसर जाति व लैंगिक विशेषता पर आधारित आरक्षण पर भी निर्भर करता है। कई युवाओं को इस शुभ अवसर के लिए एक दशक से भी अधिक लम्बी अवधि का इंतजार करना होता है। नेतृत्व के मैदान–ए–जंग में प्रतिस्पर्द्धा है अपना वर्चस्व स्थापित करने की। किसी को यह अवसर जल्दी मिल जाता है, और किसी का संघर्ष लम्बा चलता है। कोई अपनी अच्छाईयों व सत्कर्मों से जाना जाता है, और कोई अपनी बुराईयों व कुकृत्यों से पहचान बना लेता है। नेतृत्व की चाह रखने वाले युवाओं ने ठान ली है कि पहले किसी भी प्रकार से जनता के बीच अपनी पहचान बनाई जाए, अपनी बात सार्वजनिक मंच पर रखने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त किये जायें, और क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लक्षित करते हुए उनके यथासंभव समाधान की बातों से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए, ताकि आने वाले चुनावों में

जनता का मतरूपी आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। सार्वजनिक मंच का अवसर प्राप्त करने के लिए युवा नेता विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों व अनुष्ठानों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक विशेष भूमिका के साथ प्रयासरत नजर आते हैं।

यूं तो पहाड़ों में समस्याओं की कोई कमी नहीं है वरन् यहाँ समस्याओं का भी पूरा पहाड़ ही है। यहाँ एक समस्या खत्म होते ही लोगों के समक्ष दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ के नेताओं के लिए समस्याओं को मुद्दा बनाकर चुनाव अपने हाथ में लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात जनता की, पहाड़ों की जनता वास्तव में बड़ी भोली होती है। लोगों को कोई उनकी जैसी बात करने वाला मिल जाए तो वे उसके ही हो जाते हैं। पहाड़ों में समस्याओं का अंत कभी होना नहीं है, राजनीति के लिए समस्याओं के मुद्दे भी जस के तस बने रहते हैं, और आगे भी यही स्थिति रहनी है। चुनावों में भी नेताओं के पास कोई नया मुद्दा नहीं रहता है। पुराने मुद्दों के ही दम पर कोई न कोई नेता बन जाता है, और उसके भविष्य की राह भी आसान हो जाती है। लेकिन पहाड़वासियों के हिस्से में नेताओं की मीठी बातें, झूठे वादे, दिखावे का अपनापन, लुभावने भाषण और विकासकार्यों में मुनाफाखोरी की ठेकेदारी के अलावा कुछ नहीं आता। उल्टा आवाज उठाने वाले लोगों को प्रभावशाली नेताओं की खुली धमकी मुनाफे में मिलती रहती है। यहाँ तक कि कुछ नेता तो बार–बार चुने जाने से इतने प्रभावशाली हो चुके हैं कि वे खुले मंच से लोगों को चुनौती देते व धमकाते नजर आते हैं।

राजनीति में जागरुक युवाओं की प्रतिभागिता सराहनीय है। यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। युवा नेतृत्व का होना राजनीति को अपनी विरासत बना चुके पुराने नेताओं को बदलने का एक विकल्प भी है। किन्तु युवा नेताओं को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वे अपनी राजनैतिक सफलता का आधार जनसमस्याओं को बनायें, और अपने निजी स्वार्थ को दूर रखते हुए जनता का हित ध्यान में रखें, जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने में सक्षम रहें, किस मंच से क्या बात की जानी चाहिए इसका विशेष ध्यान रखें, अपने सत्कर्मों से अपनी पहचान बढ़ाते हुए राजनैतिक सफलता अर्जित करते रहें, और अपना भविष्य उज्ज्वल बनायें। वैसे भी राजनीति में शाम, दाम, दण्ड व भेद नीतियों के चलते सफलता कुछ ही लोगों के पल्ले पड़ती है, बाँकियों के हाथ मेहनत के बावजूद भी निराशा ही लगती है। जो सफल हो लिए उनका तो ठीक ही है, लेकिन जो असफल हुए उन्हें और अधिक इंतजार, मेहनत व संघर्ष करना होता है। अन्यथा उन्हें चुनावी मैदान छोड़कर दूसरे क्षेत्र में अपना भविष्य खोजना चाहिए। इसके लिए आज के हर एक युवा को चाहिए कि वे अपने रोजगार के स्थायित्व को प्राथमिकता प्रदान करे, और उसके विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करे।

सह सम्पादक

21वीं सदी में पर्वतीय महिलाओं की व्यथा

नरेन्द्र सिंह बिष्ट

हल्द्वानी, उत्तराखण्ड। दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने और उन्हें समाज के हर क्षेत्र में समान अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए कई प्रकार से प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है जिससे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। मगर पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आज भी समान अधिकार और सशक्तिकरण केवल एक ख्वाब से अधिक कुछ नहीं है। यहां तो आज भी महिलाओं को परंपरा के आगे झुकना पड़ता है और केवल अपने हिस्से की कुर्बानी देनी पड़ती है। जिसका सीधा असर उनके जीवन यापन व उनके स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में निर्णय लेने के सभी अधिकार पुरूषों को हैं और महिलाओं को उसे सर आंखों पर रखना होता है चाहे वह निर्णय उसके हक़ में न भी हो।

वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम प्रधान, सरपंच व कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं के लिए सीट को आरक्षित किया गया है, परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में यह योजना केवल कागजों तक सीमित है। आज भी इन कार्यों को उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा ही संचालित किया जाता है। पद महिला होने के चलते महिला मात्र रबर स्टांप होती है जो पुरुषों द्वारा लिए गए फैसले पर आंख और कान बंद कर मुहर लगाती है। उसे तो उस कार्य की कोई जानकारी तक नहीं होती है। केवल प्रशासनिक फैसले ही नहीं, बल्कि उसे शादी ब्याह से जुड़े अपने जीवन के अहम फैसले लेने का भी अधिकार नहीं होता है। 21वीं सदी में भी इस क्षेत्र में कम उम्र में विवाह का रिवाज देखने को मिल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है माता–पिता अपनी बेटियों से पल्ला झाड़ रहे हों। मात्र 18 से 20 वर्ष में बेटियों को विवाह के बंधन में बाधकर पारिवारिक जिम्मेदारी के बोझ तले रौंद दिया जाता है।

कम आयु में विवाह का रिवाज आज से नहीं वरन पुराने समय से है। जिसका उदाहरण दीपा नौटियाल जैसी महान समाजसेविका हैं, जिनका जन्म 1917 में पौड़ी गढ़वाल के थलीसैण तहसील स्थित मंज्युर गांव में हुआ था। महज 19 वर्ष की आयु में दीपा नौटियाल ने इतने दर्द सहे जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। जिन्होंने दो वर्ष की आयु में माता, पांच वर्ष की आयु में पिता और महज 19 वर्ष की आयु में पति को खो दिया। जिसके बाद ससुराल वालों ने भी उन्हें ठुकरा दिया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को समाज सेवा में लगा दिया। लेकिन ऐसी हिम्मत सभी लड़कियों या महिलाओं में नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कम उम्र में होने वाली शादी से महिलाओं को कई कष्टों को सहन करना पड़ता है। जिस समय उन्हें स्वयं के बारे में पता नहीं होता है उस समय परिवार की जिम्मेदारी के साथ वह माता, बहू, जैसी कितनी ज़िम्मेदारियों को संभालने लग जाती हैं।

कम उम्र में शादी होने से महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा होने वाले स्वास्थ्य शिविरों में पाया गया है कि अधिकतर गर्भवती महिलाओं की उम्र मात्र 21 वर्ष होती है, वहीं कई महिलायें 22 से 23 वर्ष की आयु में दो बच्चों की माता बन चुकी होती हैं। जो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है पर यदि उस महिला के स्वास्थ्य के नजरिये से देखा जाए तो कम उम्र में मां बनना आगे चलकर उस महिला में कई रोगों के कारण बन सकता है। घर परिवार की ज़िम्मेदारी के कारण वह अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती है और कई घरों में तो जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं से जुड़ी बिमारियों को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जो आगे चलकर उसकी मौत का कारण बन जाता है। भारत में महिलाओं में होने वाली कुल मौतों का 21 फीसदी कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है। बड़ी संख्या में पर्वतीय महिलाएं भी इससे ग्रसित पायी गई हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर स्थिति में तो हैं ही, साथ ही ग्रामीण समुदाय जागरूकता के अभाव में भी जीवन यापन कर रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि महिलाओं द्वारा अन्य कार्यो में प्रतिभागिता नहीं की जाती है। आज स्वयं सहायता समूहों की संख्या देखी जाए तो महिला स्वयं सहायता समूह पुरूषों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं। उनकी बैठकें व धनराशि नियमित रूप से जमा होती हैं। उनके द्वारा बैंकों से लिये गये लोन भी समय पर वापस किये जा रहे हैं। इसके बावजूद आज भी पर्वतीय समाज में महिलाएं अपने अस्तित्व की लड़ाई बिना किसी सहारे के लड़ रही हैं। दिन के सबसे अधिक घंटे वह अपने परिवार के लिए समर्पित रहती हैं। यदि हम समाज की सोच में परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं तो महिलाओं के लिए यह हमारा सबसे बड़ा सम्मान होगा।

(चरखा फीचर)

'बात पहाड़ की' साप्ताहिक समाचार पत्र को आवश्यकता है पार्ट टाईम हिन्दी कंटेंट राईटर व टाईपिस्ट की इच्छुक व्यक्ति बायोडाटा ईमेल करें।
info@baatpahaadki.com

प्रिय पाठकगण,
अपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ।
यह पावन पर्व आपके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और अपार खुशियों के प्रकाश से भर दे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। दीपों की यह जगमगाहट आपके हर सपने को रोशन करे और हर अंधकार को दूर करे।
सादर शुभ दीपावली!

सम्पादक– ''बात पहाड़ की''

सूचना का अधिकार कानून के 20 सालः आयोगों में खाली पद और लंबित मामलों से कानून की धार कुंद

अंजलि भारद्वाज, अमृता जौहरी

इलस्ट्रेशनः योगेन्द्र आनंद / सीएसई

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून 2005 में इसलिए बनाया गया था, ताकि लोग सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना हासिल करके अपने सूचना के मौलिक अधिकार का व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल कर सकें। आरटीआई कानून के तहत सूचना आयोग (आईसी) अंतिम अपीलीय प्राधिकरण हैं। आईसी को लोगों के सूचना के मौलिक अधिकार की रक्षा करने और उन्हें सुविधा मुहैया कराने का दायित्व सौंपा गया है। आईसी का गठन केंद्र (केंद्रीय सूचना आयोग) और राज्यों में (राज्य सूचना आयोग) किया गया है।

15 फरवरी 2019 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक्ट के प्रभावी संचालन के लिए सूचना आयोग बेहद जरूरी हैं, "24)... आरटीआई एक्ट में दी गई पूरी योजना में इन संस्थाओं (सूचना आयोगों) का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है और वे आरटीआई एक्ट के सुचारू संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।" अदालत ने कहा कि सूचना आयुक्तों की आवश्यक संख्या आयोग के कार्यभार के आधार पर तय की जानी चाहिए। कोर्ट ने समय पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

आयोगों के पास बहुत सी शक्तियां हैं जिनमें सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देने, लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) की नियुक्ति करने, कुछ श्रेणियों की सूचनाएं प्रकाशित करने और सूचना के रखरखाव की प्रथाओं में बदलाव करने जैसी शक्तियां भी शामिल हैं। आईसी के पास उचित कारण होने पर जांच का आदेश देने की शक्ति भी है। वह "शिकायतकर्ता को हुए किसी भी नुकसान या अन्य हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को बाध्य भी कर सकता है।" आयोगों को अधिनियम के उल्लंघन में दोषी पाए गए अधिकारियों को दंडित करने की शक्तियां भी दी गई हैं।

आरटीआई कानून ने लोगों को भारतीय लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी निभाने और अपनी सरकारों की जवाबदेही तय करने का अधिकार दिया है। अनुमान के मुताबिक हर साल देशभर में 40 से 60 लाख आरटीआई आवेदन दाखिल होते हैं। पिछले 20 साल में भ्रष्टाचार और आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने में हुई चूक के लिए सरकारों और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस कानून का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल देश की सर्वोच्च संस्थाओं से उनके कामकाज, उनके फैसलों और उनके व्यवहार पर सवाल उठाने के लिए भी किया गया है।

दुर्भाग्यवश आरटीआई एक्ट लागू होने के 20 साल बाद भारत का अनुभव बताता है कि सूचना आयोगों का कामकाज ही इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। देशभर के कई आयोगों में अपीलों और शिकायतों का भारी बोझ मामलों के निस्तारण में और ज्यादा देरी की वजह बन रहा है। इस वजह से कानून बेअसर हो जाता है।

लंबित मामलों के बैकलॉग की एक बड़ी वजह केंद्र और राज्य सरकारों का केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में समय पर आयुक्तों की नियुक्ति न कर पाना है। अक्टूबर 2023 में सूचना आयोगों में खाली पदों से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाली पदों को न भरने से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, जिससे संसद के अधिनियम से मान्यता प्राप्त सूचना का अधिकार सफेद हाथी साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, कानून के उल्लंघन के दोषी पाए गए अधिकारियों को दंडित करने में भी सूचना आयोगों को बहुत ज्यादा अनिच्छुक पाया गया है। पारदर्शिता के ये पहरेदार खुद भी पारदर्शिता और देश की जनता के प्रति जवाबदेही के मामले में अच्छा रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए हैं।

आरटीआई एक्ट के तहत भारत के 29 सूचना आयोगों से मिली जानकारी और आयोगों की वेबसाइटों और वार्षिक रिपोर्टों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के नतीजे बेहद चिंताजनक हैं। इस विश्लेषण के जिन निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है, वे सतर्क नागरिक संगठन की तरफ से प्रकाशित भारत के सूचना आयोगों के रिपोर्ट कार्ड 2023–24 से लिए गए हैं।

आयोगों में खाली पड़े पद

आरटीआई एक्ट के तहत सूचना आयोगों में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। समीक्षा अवधि के दौरान 29 में से 7 सूचना आयोग अलग–अलग अवधि तक पूरी तरह निष्क्रिय पाए गए, क्योंकि सभी आयुक्तों के पद खाली थे, जिनमें झारखंड, त्रिपुरा, गोवा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयोग शामिल हैं। सूचना आयोग सक्रिय न हो और सूचना मांगने वाले लोगों को कानून के प्रावधानों के अनुसार जानकारी भी न मिले, तो उन्हें आरटीआई एक्ट के जरिए कोई राहत नहीं मिल पाती।

झारखंड सूचना आयोग 8 मई 2020 यानी पांच साल से अधिक समय से निष्क्रिय है। ऐसे में झारखंड एसआईसी के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने वालों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उन्हें आरटीआई एक्ट के तहत निर्धारित स्वतंत्र अपीलीय तंत्र की मदद नहीं मिल पाती। कई सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त के पद खाली थे या फिर समीक्षा अवधि के दौरान आयुक्तों की पर्याप्त संख्या के बिना काम कर रहे थे। इनमें केंद्रीय सूचना आयोग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और तमिलनाडु शामिल थे।

महाराष्ट्र का एसआईसी तब तक सिर्फ 5 सूचना आयुक्तों के साथ काम करता रहा, जब तक और आयुक्तों की नियुक्तियां कर उनकी संख्या बढ़ाकर 8 नहीं कर दी गईं। आयोग की क्षमता बहुत कम होने के कारण लंबित अपीलों और शिकायतों की संख्या चिंताजनक तरीके से बढ़ती गई। जून 2024 तक महाराष्ट्र एसआईसी में देश में सबसे ज्यादा करीब 1,10,000 अपीलें और शिकायतें लंबित थीं।

रिपोर्ट में पाया गया कि सीआईसी लगभग एक साल तक केवल 3 आयुक्तों (1 मुख्य + 2 आयुक्तों) के साथ काम कर रहा था और 8 पद खाली पड़े थे। इन 3 आयुक्तों की नियुक्ति नवम्बर 2023 में हुई, ठीक उस समय जब सीआईसी निष्क्रिय होने वाला था, क्योंकि सभी मौजूदा आयुक्त भी कार्यमुक्त होने वाले थे। ऐसे में लंबित अपीलों और शिकायतों का आंकड़ा बढ़कर करीब 23,000 तक पहुंच गया। सूचना आयोगों में समय पर आयुक्तों की नियुक्ति न होने से अपीलों और शिकायतों का भारी बोझ बढ़ जाता है।

लंबित मामलों का पहाड़

30 जून 2024 तक 29 सूचना आयोगों में लंबित अपीलों और शिकायतों की संख्या 4,05,509 तक पहुंच गई थी। हाल के वर्षों में लंबित अपीलों और शिकायतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। समीक्षा अवधि के दौरान लंबित मामलों और उनके मासिक निपटान की दर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ एसआईसी को किसी मामले का निपटारा करने में 5 साल 2 महीने लगेंगे। यानी 1 जुलाई 2024 को दायर किया गया मामला साल 2029 में निपटाया जाएगा। इसी तरह, बिहार एसआईसी में अनुमानित समय साढ़े 4 साल होगा, जबकि ओडिशा में लगभग 4 साल।

आकलन से पता चला कि 14 आयोगों को किसी मामले के निस्तारण में 1 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। सूचना आयोगों की तरफ से अपीलों और शिकायतों के निस्तारण में हो रही अत्यधिक देरी आरटीआई एक्ट के मूल उद्देश्य का उल्लंघन करती है। आयोगों में ज्यादा देरी से कानून आम लोगों के लिए, खासकर सरकारी सेवाओं पर सबसे अधिक निर्भर हाशिये पर रहने वालों के लिए बेअसर हो जाता है। जबकि सूचना की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें ही होती है।

लौटा दीं अपीलें और शिकायतें

जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के दौरान कई सूचना आयोग बिना कोई आदेश पारित किए अपीलें और शिकायतें लौटाते पाए गए। सीआईसी ने समीक्षा अवधि में दर्ज की गई 19,347 अपीलों और शिकायतों में से करीब 14,000 लौटा दीं। यानी सीआईसी को मिली 42 फीसदी अपीलें/शिकायतें सीधे वापस कर दी गईं। सीआईसी की वेबसाइट यह जानकारी देती है कि कितनी अपीलें/शिकायतें कमियों को दूर करने के बाद फिर से सीआईसी में दाखिल की गईं। आंकड़ों से पता चलता है कि जिन अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं के मामलों को लौटा दिया गया था, उनमें से करीब 96 फीसदी मामले उन्होंने दोबारा सीआईसी में दाखिल ही नहीं किए। बिहार एसआईसी में इसी अवधि के दौरान 10,548 अपीलें और शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन आयोग ने उसी पीरियड में इससे ज्यादा 11,807 मामले लौटा दिए।

सीआईसी और कुछ एसआईसी की तरफ से बिना कोई आदेश दिए इतनी बड़ी संख्या में अपीलें और शिकायतें लौटाने की यह प्रथा बेहद चिंताजनक है। इससे यह आशंका पैदा होती है कि शायद यह सूचना मांगने वालों को हतोत्साहित करने और आयोगों में लंबित मामलों की संख्या घटाने का एक तरीका है, क्योंकि कई लोग, खासकर गरीब और हाशिये पर रहने वाले अपनी अपील या शिकायत लौटाए जाने पर निराश होकर हार मान लेते हैं। यही वजह है कि सीआईसी से लौटाए गए 95 फीसदी से अधिक मामलों को अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं ने दोबारा दाखिल ही नहीं किए। आयोगों को अपीलें/शिकायतें दर्ज कराने की प्रक्रिया में लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें यूं ही लौटा देना चाहिए।

दंडित करने में झिझक

आरटीआई एक्ट सूचना आयोगों को यह अधिकार देता है कि वे कानून का उल्लंघन करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगा सकें। दंड का प्रावधान इस कानून को प्रभावी बनाने और पीआईओ को उल्लंघन से रोकने का एक अहम साधन है। आकलन से पता चला कि आयोग उन मामलों के बेहद छोटे हिस्से में ही जुर्माना लगाते हैं, जिनमें दंडित किया जा सकता था। हकीकत में आयोग पीआईओ से यह पूछने में भी झिझकते दिखे कि उन्होंने कानून का पालन क्यों नहीं किया।

1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 की अवधि में 23 आयोगों ने संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। इसमें कुल 3,953 मामलों में दंड लगाया गया। निस्तारित मामलों और दंड लगाए गए मामलों, दोनों की सूचनाएं देने वाले 20 आयोगों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि सिर्फ 3 फीसदी निस्तारित मामलों में ही दंड लगाया गया। विश्लेषण से यह भी पता चला कि जिन मामलों में जुर्माना लगाया जा सकता था, उनमें भी केवल 5 प्रतिशत मामलों में ही दंड लगाया गया। यानी आयोगों ने अधिकारियों के दोषी होने के बावजूद ऐसे 95 प्रतिशत मामलों में उन्हें दंडित ही नहीं किया।

दोष साबित होने के बावजूद दंड नहीं लगाने से सार्वजनिक प्राधिकरणों को यह संदेश जाता है कि कानून का उल्लंघन करने पर भी उन्हें कोई गंभीर परिणाम नहीं भुगतने होंगे। यह आरटीआई एक्ट की उस मूल संरचना को कमजोर कर देता है, जिसमें कानून का पालन कराने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इससे दंड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

रिपोर्ट प्रकाशन में लापरवाही

वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने के मामले में भी कई सूचना आयोगों का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि वैधानिक जिम्मेदारी होने के बावजूद कई आयोग समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर पाते। 12 अक्टूबर 2024 तक 29 में से 18 सूचना आयोगों (62 फीसदी) ने 2022–23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की थी। इसी तरह, 33 फीसदी आयोगों ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं कराई थी।

(अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी सतर्क नागरिक संगठन व नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़ीं हैं और जवाबदेही एवं पारदर्शिता की पैरोकार हैं)

डाउन टू अर्थ से साभार।

कानूनी अस्वीकरणः इस समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों, लेखों, जानकारियों, आंकड़ों एवं विचारों आदि के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं। स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक की इन सभी से सहमति आवश्यक नहीं है। सभी विज्ञापन संबंधित विज्ञापन दाताओं द्वारा प्रदत्त हैं, किसी भी विज्ञापन पर विस्वास करने से पूर्व उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता स्वयं जांच लें। विज्ञापन से हुई किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक जिम्मेदार नहीं हैं।

अल्मोड़ा के गांवों में 9 की मौत के बाद सचेत हुआ स्वास्थ्य विभाग

दीपक पुरोहित

उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले का धौलादेवी ब्लॉक पिछले दो हफ्तों से बेचैनी में है। देवलीबगड़, विवड़ी, धुराटाक, मला, खेती आदि गांवों में बुखार ने ऐसा कहर बरपाया कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। बीमारी की शुरुआत अचानक हुई। लोगों को तेज बुखार आया, शरीर टूटने लगा, और दो दिन के भीतर हालत बिगड़ गई। गांवों में डर फैला है, लोग पानी भी घबराकर पी रहे हैं। ग्रामीण गणेश पांडे बताते हैं कि ज्यादातर मृतक 50 से 70 साल की उम्र के थे।

शुरू में सबने सोचा कि यह मौसम बदलने का असर है, लेकिन जब एक के बाद एक मौतें हुईं तो मामला गंभीर लगने लगा। कई घरों में एक साथ पूरा परिवार ही बीमार पड़ गए। अस्पताल दूर हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित, इसलिए इलाज में भी देर हुई। स्वास्थ्य विभाग ने जब स्थिति पर ध्यान दिया तो तुरंत डॉक्टरों की टीमों को गांवों में भेजा गया। जांच में सामने आया कि यह कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं, बल्कि गंदे पानी से फैला बैक्टीरियल संक्रमण है। जो लोगों व बुजुर्गों की जान ले रहा है।

ब्लॉक के जिन गांवों में लोग बीमार पड़े हैं, वहां की पानी सप्लाई व्यवस्था खराब मिली। जिस टैंक से गांवों में पानी भेजा जाता है, उसमें कोलीफार्म बैक्टीरिया पाया गया है। यह वही बैक्टीरिया है जो मलजन्य संक्रमण का संकेत देता है और टाइफाइड, डायरिया, हैजा जैसी बीमारियां फैला सकता है। जिला सर्वेलांस अधिकारी डॉ. कमलेश जोशी ने बताया कि जांच में टैंक के पानी में कोलीफार्म बैक्टीरिया पाया गया है। इसकी रिपोर्ट जल संस्थान को भेज दी गई है। पानी का क्लोरीनेशन कर इसे साफ कर दिया गया है। इसी बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड, डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। लोगों को पानी उबालकर पीने को कहा गया है।

धार के ग्रामीण सुरेश पांडे ने बताया कि पानी के टैंक की सफाई भी समय से नहीं हो पाती। धौलादेवी ब्लॉक की करीब सात हजार आबादी सरयू–दन्या पेयजल योजना पर निर्भर है। यह पानी ऊर्धेश्वर में बने टैंक से गांवों तक पहुंचता है। इस विषय में कई महीनों से शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अल्मोड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन. सी. तिवारी का कहना है कि अब तक अस्पताल में भर्ती 11 लोगों के खून के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें चार में टाइफाइड की पुष्टि हुई है। बाकी रिपोर्टों का इंतजार है।

यह कोई रहस्यमय बीमारी नहीं बल्कि गंदे पानी के कारण फैला इंफेक्शन है। जांच में पता चला है कि जिस टैंक से गांवों में पानी सप्लाई होता है उसमें कोलीफार्म बैक्टीरिया पाया गया है। घटना के बाद पानी की सफाई व क्लोरीनेशन किया गया है। 16 टीमों को अलग–अलग गांवों में लोगों की स्वास्य जांच के लिए भेजा गया है। बताया कि 9 लोगों की मौत अलग–अलग जगह हुई है। पर उनकी खून की जांच नहीं हो पाई है। जानकारी सामने आने के बाद बीमार लोगों की जांच की जा रही है और जरूरतमंदों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है।

धौलादेवी ब्लॉक के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. योगेश पुरोहित ने बताया कि पूरे ब्लॉक में टीमें भेजकर लोगों की जांच की जा रही है। जिन गांवों में लोग बीमार हैं, वहां चिकित्सा टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, जो ज्यादा बीमार हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शुरुआती जांच से पता चला है कि पाइपलाइन टूटने से गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया, और वहीं से संक्रमण फैला। इसलिए लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है।

बुनियादी ढांचे की कमी

यह घटना बताती है कि पहाड़ के गांवों में बुनियादी ढांचे की हालत किस कदर कमजोर है। जब तक कोई हादसा न हो, तब तक पानी के टैंक की सफाई, पाइपलाइन की मरम्मत या नियमित जांच किसी की प्राथमिकता नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाएं भी इतनी सीमित हैं कि बीमारी फैलने के बाद ही सरकारी अमला हरकत में आता है। धौलादेवी की यह कहानी सिर्फ एक ब्लॉक की नहीं, बल्कि पहाड़ों के उन सैकड़ों गांवों की है जो दूषित पानी और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच हर दिन किसी अदृश्य खतरे से जूझ रहे हैं। गांवों में अब भी लोग अपने कुओं और टैंकों की सफाई खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अच्छा संकेत है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वह इसे एक चेतावनी की तरह ले। जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग दोनों को मिलकर स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है, ताकि अगली बार कोई गांव ऐसे संक्रमण की मार न झेले।

डाउन टू अर्थ से साभार।

हिमालयी राज्यों में बढ़ती आपदाओं को रोकने के लिए ठोस पहल की मांग

डीटीई स्टाफ

उत्तराखण्ड के नंदानगर बाजार के ऊपर बने कई मकान ढह गए। फोटोः राजू सजवान

वर्ष 2025 की भीषण मानसूनी आपदाओं के बाद हिमालयी राज्यों में आपदा से निपटने की व्यवस्था और जलवायु तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी को लेकर भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 30 से अधिक संगठनों और 40 से अधिक विशेषज्ञों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 'पीपल फॉर हिमालय' अभियान के बैनर तले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय समिति को संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और जलवायु अनुकूलन की दिशा में त्वरित सुधारों की मांग की गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि 2025 का मानसून हिमालयी राज्यों–उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर और दार्जिलिंग में भीषण तबाही लेकर आया। बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और क्लाउडबर्स्ट की घटनाओं से भारी जनहानि और संपत्ति का नुकसान हुआ। सड़कों, पुलों, घरों और बुनियादी ढांचे का ध्वंस हुआ। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इन आपदाओं ने दशकों से चली आ रही असंतुलित विकास नीतियों, पर्यावरणीय क्षरण और पहाड़ी इलाकों की विशिष्ट चुनौतियों की अनदेखी को उजागर किया है।

पीपल फॉर हिमालय अभियान ने एनडीएमए से आग्रह किया है कि प्रभावित राज्यों के लिए पोस्ट–डिजास्टर नीड्स असेसमेंट को जल्द पूरा किया जाए ताकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य वैज्ञानिक और न्यायपूर्ण आधार पर हो सके। जिन क्षेत्रों–जैसे दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल में अभी तक ऐसी आकलन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, वहां विशेषज्ञ टीमों को भेजकर सामाजिक, पर्यावरणीय और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन कराया जाए।

ज्ञापन में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की राशि में वृद्धि की मांग की गई है ताकि बढ़ते जलवायु जोखिमों से निपटने में मदद मिल सके। साथ ही पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग आपदा शमन और जलवायु अनुकूलन कोष बनाए जाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें पारदर्शिता और जन–जवाबदेही सुनिश्चित हो।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे राजमार्ग, जलविद्युत परियोजनाएं, सुरंगें और रेलवे लाइनों ने पहाड़ों की अस्थिरता और आपदा–जोखिम को बढ़ाया है। इन परियोजनाओं ने नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और ढलानों की स्थिरता को प्रभावित किया है तथा वनों की कटाई को बढ़ावा दिया है। इसलिए सभी चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की स्वतंत्र और वैज्ञानिक समीक्षा की मांग की गई है। साथ ही, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक, पर्यटन गतिविधियों के सख्त नियमन और जलवायु परिवर्तन के अनुमानों को हर योजना में शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। ज्ञापन में हाल ही में संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम को वापस लेने की भी मांग की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 100 किमी के दायरे में वन भूमि को विकास परियोजनाओं के लिए खोलता है।

ज्ञापन में यह चिंता जताई गई है कि हिमालयी राज्यों की लगभग दो–तिहाई भूमि कानूनी रूप से वन क्षेत्र घोषित है, जिससे आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सुरक्षित जमीन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। हजारों परिवार, खासकर भूमिहीन और वंचित समुदायों के, अब भी अस्थायी और असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे हैं। ज्ञापन में महिलाओं, भूमिहीन मजदूरों, पशुपालक और जनजातीय समूहों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पुनर्वास, उचित मुआवजा और आजीविका बहाली की मांग की गई है।

अभियान ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठों को तकनीकी और वित्तीय रूप से मजबूत किया जाए ताकि जिला स्तर पर जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन हो सके। मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय जल आयोग के निगरानी नेटवर्क का विस्तार, संवेदनशील क्षेत्रों में जोनिंग नियमों का कड़ाई से पालन, और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार की भी मांग की गई है। अभियान ने स्थानीय शासन संस्थाओं जैसे पंचायतों और ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने पर जोर दिया है ताकि वे वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान के मिश्रण से सामुदायिक स्तर पर आपदा तैयारी और निगरानी को मजबूत कर सकें।

पीपल फॉर हिमालय अभियान ने कहा है कि 2025 की हिमालयी आपदाएं भारत के आपदा शासन में एक निर्णायक मोड़ साबित होनी चाहिए। अब केवल वही विकास पथ टिकाऊ हो सकता है जो सुरक्षा, समानता और पर्यावरणीय अखंडता पर आधारित हो और जिसमें पर्याप्त वित्तीय संसाधन, वैज्ञानिक योजना तथा स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण शामिल हो।

इस संयुक्त ज्ञापन पर 31 संगठनों और 37 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से क्लाइमेट फ्रंट (जम्मू), सिटिजन्स फॉर ग्रीन डून (उत्तराखण्ड), सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन (उत्तराखण्ड), जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति (उत्तराखण्ड), हिमधारा कलेक्टिव (हिमाचल प्रदेश), हिमालय नीति अभियान (हिमाचल प्रदेश), द शिमला कलेक्टिव (हिमाचल प्रदेश), काउंसिल फॉर डेमोक्रेटिक सिविक एंगेजमेंट (सिक्किम), यूथ फॉर हिमालय, इंडिजिनस पर्सपेक्टिव्स (इम्फाल), उत्तराखण्ड लोक वाहिनी, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स (NAPM) और मौसाम नेटवर्क शामिल हैं।

डाउन टू अर्थ से साभार।

'बात पहाड़ की' ई-पेपर पढ़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें।

बात पहाड़ की

सम्पादकः पंकज सिंह बिष्ट

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक पंकज सिंह बिष्ट द्वारा भीड़ापानी ओखलकांडा प्रिंटिंग प्रेस, निकट कालाढूंगी चौराहा, भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं म.नं. 14 ग्राम गजार, पोस्ट ऑफिस कसियालेख, ब्लॉक व तहसील धारी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड, पिन 263137 से प्रकाशित।

Mobile: +91 9410126343

Email: info@baatpahaadki.com
Website: news.baatpahaadki.com
RNI No.: UTTHIN/2021/83295

इस अंक में समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
समस्त वादों का निस्तारण धारी न्यायालय के अधीन होगा।

हर्ष गंगा इंटरप्राइजेज

आप सभी को दीपोत्सव दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई।

निकट विकासखण्ड कार्यालय, धारी (नैनीतान)
सम्पर्क करें: 8859397921, 9758696499

हमारे यहां सभी प्रकार की फसलों के बीज, कृषि रक्षा रसायन, उर्वरक व कृषि यंत्र उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं।